

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

नरेश

बनाम

कमल निदि

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

184/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>नरेश</u></p> <p>पिता श्री <u>किशनलाल गुजर</u></p> <p>निवासी- <u>सामरी (व.ह. शंभुपुरा) (8)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सामरी (व.ह. शंभुपुरा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1007, 899, 940, 958, 987</u> <u>0.92, 0.28, 0.52, 0.81, 0.46</u></p> <p>कूल कीता <u>05</u> कूल रकबा <u>2.9400</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सामरी (व.ह. शंभुपुरा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1007, 899, 940, 958, 987</u> <u>0.92, 0.28, 0.52, 0.81, 0.46</u></p> <p>कूल कीता <u>05</u> रकबा <u>2.9400</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>20000=00</u> रुपये अक्षर <u>दो हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल) सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>